

प्रेषक,

डा० अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 03 जुलाई, 2017

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम०ई०-3/2017/486, दिनांक 30.06.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू०जी०, 2017 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/ विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(I) तकनीकी संस्था का नामांकन-

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में राजकीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु नीट यू०जी०, 2017 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग/प्रवेश हेतु आन लाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु National Informatics Center (एन०आई०सी०) को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जायेगा। तकनीकी संस्था द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० की देख-रेख में सी०बी०एस०ई० द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेरिट सूची के आधार पर श्रेणीवार (सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) राज्य मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

(II) विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) -

महानिदेशक, चि०शि० द्वारा एक समिति गठित कर अपनी देख-रेख पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नीति के अनुपालन में नीट यू०जी०-2017 हेतु एक विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जायेगा, जिसमें आवश्यक समस्त

निर्धारित प्रारूप-पत्रों को संलग्नक के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ब्रोशर में प्रकाशित समस्त सूचनाएं/तथ्य एवं निर्धारित प्रारूप शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार हो।

(III) राजकीय क्षेत्र हेतु अर्हताएं (Eligibility)-

प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/ विश्वविद्यालय/संस्थानों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक हैं:-

1. नीट 2017 की मेरिट सूची में अर्ह अभ्यर्थी, जिन्होंने निर्धारित आन-लाइन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो।
2. ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो,
3. ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत "सामान्य निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उ0प्र0 से उत्तीर्ण न की हो तथा वे उ0प्र0 के मूल निवासी हो। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत "मूल निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(IV) निजी क्षेत्र हेतु अर्हताएं (Eligibility)

1. नीट 2017 की मेरिट सूची में अर्ह अभ्यर्थी, जिन्होंने निर्धारित आन-लाइन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज, अल्पसंख्यक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

(V) शैक्षिक अर्हता-

अभ्यर्थी को इन्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के रेग्युलेशन आन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन-1997 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया के बी0डी0एस0 रेग्युलेशन कोर्स-2007 के अनुसार

अर्हकारी परीक्षा तथा नीट यू0जी0 2017 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित है:-

क0स0	श्रेणी	विषय	अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत	Neet Percentile
1	सामान्य श्रेणी	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी	50%	50
2	अनुसूचित जाति		40%	45
3	अनुसूचित जनजाति		40%	45
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		40%	45
5	सामान्य श्रेणी (Physically Handicapped)		45%	45
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(Physically Handicapped)		40%	40

उक्त के अतिरिक्त एम0सी0आई0 एवं डी0सी0आई0 के रेग्युलेशनस के अनुसार समस्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(VI) काउंसिलिंग प्रक्रिया:-

नीट यू0जी0-2017 की मेरिट सूची के आधार पर आनलाइन पंजीकरण के पश्चात् तैयार की गयी स्टेट मेरिट सूची के अनुसार राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, में काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से आन-लाइन (माप-अप राउण्ड को छोड़कर) करायी जायेगी।

(VII) ऑनलाईन पंजीकरण शुल्क:-

नीट यू0जी0 2017 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु समस्त छात्रों से पंजीकरण शुल्क रू0 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से मात्र एक बार ही लिया जायेगा। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में उसका प्रिंटआउट अनुमन्य होगा।

(VIII) सिक्योरिटी मनी (धरोहर धनराशि):-

नीट यू0जी0 2017 की ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल/ डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप

